

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्र संख्या- 1153 / ग्रा0अ0वि0 / ठेके0पंजी0-111 / वरि0सहा0-द्वि0 / 18-19, दिनांक- 25-01-2019

पंजीकरण संख्या-422 / श्रेणी-'A' मार्ग / 2019

-: पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल सहारनपुर के पत्र संख्या-1208 दिनांक-24-01-2019 से प्राप्त मेसर्स कमल इन्टरप्राइजेज, (प्रोपराइटर श्री सुबोध शर्मा पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह), निवासी 474/33, साकेत कालोनी मुजफ्फरनगर के "A" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मेसर्स कमल इन्टरप्राइजेज, (प्रोपराइटर श्री सुबोध शर्मा पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह), निवासी 474/33, साकेत कालोनी मुजफ्फरनगर के "A" मार्ग में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा अस्थाई रूप से पंजीकृत किया जाता है, तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुजफ्फरनगर के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


(रवीन्द्र सिंह गंगवार)

मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव'यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुजफ्फरनगर।
2. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
5. निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
6. मेसर्स कमल इन्टरप्राइजेज, (प्रोपराइटर श्री सुबोध शर्मा पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह), निवासी 474/33, साकेत कालोनी मुजफ्फरनगर (मो0न-9412711033) (ईमेल-subodhsharma054@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के नाम प्रस्तुत बंधक एफ0डी0आर0 के स्थान पर मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ के नाम बंधक एफ0डी0आर0 एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। उक्त अवधि में एफ0डी0आर0प्रस्तुत न करने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा एवं अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
7. अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।



मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी)  
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  
उत्तर प्रदेश  
लखनऊ

मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)